THE FORWARD CONTRACTS (REGULATION) AMENDMENT BILL, 1998

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND THE MINISTER OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Sir, I introduce the Bill.

1.00 P.M.

SPECIAL MENTIONS—(Contd.)

Discontentment Among The People of Ajmer Due to Shifting of Revenue Board

श्री ओंकार सिंह लखावत (राजस्थान): सभापति महोदय, मैं एक विशेष उल्लेख के द्वारा इस सदन का ध्यान एक बहुत गम्भीर मसले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, आजादी के बाद कुछ राज्यों का विलय कुछ राज्य में किया गया था। अजमेर एक "सी" स्टेट हुआ करता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 दिसम्बर, 1953 को संसद् में एक वक्तव्य देकर के एक कमीशन के गठन करने की घोषणा की थी जिसमें सैयद फज़ल अली साहब चेयरमैन थे, हृदयनाथ कंजरू और के० एम० पन्निकर थे। वह कमीशन 1953 को बना और उसकी सिफारिश के अनुरूप अजमेर जो एक "सी" स्टेट था, उसका मर्जर राजस्थान में हो गया। श्रीमन् मैं यह इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जो मत्वपूर्ण कार्यालय थे वह कहां होने चाहियें, यह सवाल आया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अनुशंसा के अनुसार राव कमीशन का गठन केन्द्र सरकार ने किया। राव कमीशन ने भिन्न स्थानों का निरीक्षण, भौगोलिक प्राकृतिक स्थितियों का अध्ययन, साक्ष्य लेने के बाद, उन्होंने एक रिपोर्ट दी। जो उन्होंने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के तहत अजमेर को उन्होंने रेवेन्यु बोर्ड दिया। कुछ जगह हाई कोर्ट, कुछ स्थानों पर और कार्यालय दिये गये। परन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे मर्जर के आधर पर जो हमें रेवन्यु बोर्ड अजमेर में दिया गया था, उसका स्थाई रूप से विखंडन करने का काम जारी हो गया है। इसलिए मैं चाहता हूं केन्द्रीय गृह मंत्री जी इसमें इस्तक्षेप करें और जो वादा किया गया था मर्जर के समय अजमेर की महत्वपूर्ण मर्यादा और अस्तित्व को ध्यान में रख कर, लोकमत को ध्यान में रखते हुए, राजस्व मण्डल का विखंडन होने से रोका जाए। एक मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

[उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) पीठासीन हुईं]

महोदय, दूसरा निवेदन मेरा यह है कि यदि राव कमीशन की सिफारिशों को मानने में किसी को एतराज है तो हमारा अजमेर राज्य हमें वापिस लौटा दिया जाए। हमारा अपना मुख्य मंत्री हुआ करता था, हमारे यहां का अपने सचिवालय और ज्यूडिशियल कमिश्नर हुआ करता था और हमारा अपना एक दर्जा था। उसके बाद हमारे साथ लगातार अन्याय हो रहा है इसलिए मैं इस विशेष उल्लेख के द्वारा सरकार से चाहूंगा, माननीय गृह मंत्री जी, क्योंकि हमारा मर्जर आपके कारण से हुआ था, केन्द्रीय सरकार के आग्रह पर हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल के आग्रह के कारण हुआ था इसलिए अजमेर के साथ न्याय किया जाए और राजस्व मंडल को विघटित होने से रोका जाए। यह मैं इस विशेष उल्लेख के द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गोविन्दराम गिरी (मध्य प्रदेश): मैं भी इसके साथ एसोसियेट करता हूं।

Lack of Civic Amenitities In Slums on Central Government Land In Mumbai

श्री संजय निरूपम (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन का और सरकार का ध्यान मुंबई में एक विशेष प्रकार की झोंपड़पट्टी में रह रहे लोगों की तकलीफों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदया, आप तो जानती हैं, आप महाराष्ट्र की हैं, मुंबई एक ऐसा शहर है जहां महाराष्ट्र के विभिन्न ज़िलों और पूरे हिन्दुस्तान से लोग रोज़ी-रोटी की तलाश में आते हैं। वहां रहने और आवास की बराबर समस्या है लिहाज़ा उन्हें झोपड़पट्टियों में रहाना पड़ता है मुंबई में झोपड़पट्टी की विकस के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं बना रखी हैं जैसे झोंपड़पट्टी सुधार योजना, झोंपड़पट्टी अपग्रडेशन स्कीम है, पुनर्वास योजना है। इस तरह से एक योजना हमारे यहां है इसमें 40 लाख झोंपड़पट्टी वासियों की मुफ्त में, फ्री घर देने की योजना है। यह योजनाएं बाकी सारे क्षेत्र में लागू हो रही हैं लेकिन जिन जमीनों पर विशेषकर